

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 135/2020

दायर दिनांक: 02/09/2020

उनवान

1. कपिल आयु 27 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण
2. सलोनी आयु 25 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासीगण दीवाली पो० भैंसड़ा तह० अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल आयु 61 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति ब्राहमण निवासी दीवाली तह० अटरू हाल निवासी शिव कॉलोनी वार्ड नं० 1 सिविल लाईन अटरू तह० अटरू जिला बारां (राज०)
2. कान्तीबाई आयु 68 वर्ष पुत्री माधोलाल जाति ब्राहमण
3. गिर्राज आयु 42 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति ब्राहमण
4. धनराज आयु 58 वर्ष पुत्र माधोलाल जातियान ब्राहमण निवासीगण दीवाली पो० भैंसड़ा तह० अटरू जिला बारां (राज०)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तह० अटरू जिला बारां (राज०)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह० अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर०टी०एक्ट०

बाबतु खातेदारी घोषणा

उपस्थिति :-

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश

दिनांक : 19/11/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बोकड़ा पटवार हल्का जिरोद तह० अटरू में खाता संख्या 10 का ख०न० 617 का रकबा 0.93 है०, ख०न० 619 का रकबा 0.01 है० गौ०मु०चाह, ख०न० 620 का रकबा 2.11 है०,



ख0न0 634 का रकबा 1.28 है0, कुल किता 4 का रकबा 4.33 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के दर्ज खाता हैं। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 कन्हैयालाल का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता स्थित हैं नकल जमाबन्दी नवीन एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम बोकड़ा की खाता संख्या 10 का कुल किता 4 का रकबा 4.33 है0 आराजी पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 कन्हैयालाल का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता हैं जिसमें नोशनल शेयर से वादीगण का हिस्सा 1/9-1/9 बनता हैं इसलिए वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 से वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 सहखातेदार होने के कारण उन्हें फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए वादीगण प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 की तामील नहीं करवाना चाहते हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादीगण का नाम उक्त वर्णित आराजी में दर्ज नहीं किया गया तो वादीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा यदि प्रतिवादी क्रम 1 ने आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण कर दिया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रतिवादी क्रम 1, 3, 4 ने आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा हैं इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी की घोषणा का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 6 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 6 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10/07/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी

बेचान करने की धमकी देने तथा अंतिम बार दिनांक 20/08/2020 को वादीगण का नाम खाते में दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम बोकड़ा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि:-

- (अ) वादीगण को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम बोकड़ा की खाता संख्या 10 का कुल किता 4 का रकबा 4.33 है0 आराजी में नोशनल शेयर से हिस्सा 1/9-1/9 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य इस आशय का राजीनामा हुआ है कि ग्राम एवं माल बोकड़ा की खाता संख्या 10 कुल किता 4 का रकबा 4.33 है0 आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/9, 1/9, बनता है। एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/9 बनता है। इस आशय का राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुये राजीनामा को तस्दीक डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। वादीया क्रम 2 ने अपने हिस्से 1/9 की आराजी का हकत्याग स्वेच्छा से वादी क्रम 1 के पक्ष में कर दिया है। इसलिये वादी क्रम 1 का हिस्सा 2/9 रहेगा।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद एवं हकत्याग के मुताबिक राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम बोकडा की खाता संख्या 10 किता 4 रकबा 4.33 है0 प्रतिवादी क्रम 1 कन्हैया का हिस्सा $1/3$ दर्ज है। अभिभाषक वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम दिवाली सम्वत् 2058 से 2061 खाता संख्या 149 की नकल पेश की है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमे वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है।

अतः आपसी सहमति से वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल बोकडा की खाता संख्या 10 कुल किता 4 का रकबा 4.33 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/3$ खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण 1 ल 2 का हिस्सा $1/9$, $1/9$ एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/9$ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीया क्रम 2 ने अपना हिस्सा $1/9$ का हकत्याग स्वेच्छा से वादी क्रम 1 के पक्ष में कर दिया है। इसलिये वादी क्रम 1 को हिस्सा $2/9$ का खातेदार कृषक हक त्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 135/2020

उनवान

1. कपिल आयु 27 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण
2. सलोनी आयु 25 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासीगण दीवाली पो0 भैंसड़ा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल आयु 61 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति ब्राहमण निवासी दीवाली तह0 अटरू हाल निवासी शिव कॉलोनी वार्ड नं0 1 सिविल लाईन अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. कान्तीबाई आयु 68 वर्ष पुत्री माधोलाल जाति ब्राहमण
3. गिराज आयु 42 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति ब्राहमण
4. धनराज आयु 58 वर्ष पुत्र माधोलाल जातियान ब्राहमण निवासीगण दीवाली पो0 भैंसड़ा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

बाबत् खातेदारी घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल बोकड़ा की खाता संख्या 10 कुल किता 4 का रकबा 4.33 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण 1 ल 2 का हिस्सा 1/9, 1/9 एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/9 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीया कम 2 ने अपना हिस्सा 1/9 का हकत्याग स्वेच्छा से वादी कम 1 के पक्ष में कर दिया है। इसलिये वादी कम 1 को हिस्सा 2/9 का खातेदार कृषक हक त्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.11.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)